न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/6424/2017/जैसलमेर

उदयसिंह पुत्र विजयराज सिंह मृतक जरिये विधिक वारिसानः—

1— गणपतसिंह पुत्र स्व0 उदयसिंह
2— औकारसिंह पुत्र स्व0 उदयसिंह
3— ईश्वर सिंह पुत्र स्व0 उदयसिंह
4— प्रकाश सिंह पुत्र स्व0 उदयसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सत्तो तहसील व जिला जैसलमेर।

....अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उपनिवेशन मोहनगढ़ नं0 2 जिला जैसलमेर।

....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री रवि डांगी, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः—
1—श्री वी0पी0सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से।
2—श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी ।

——

निर्णय

दिनांकः 18—07—2022

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा अपील सं0 191/2016 में पारित किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 22—09—2017 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई हैं।

2— संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने सहायक कलक्टर एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, मोहनगढ़ बी के न्यायालय में एक वाद अधिनियम की धारा 15—एएए (2) (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (द्वितीय संशोधन 1992) सपठित धारा 88 एवं 188 का पेश किया, जिसे दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। दावे व जवाबदावे के आधार पर 5 तनकियात कायम की

गई। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12–08–2015 द्वारा वाद को स्वीकार किया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर के न्यायालय में मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ अपील न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22–09–17 द्वारा प्रथम अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई हैं।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–09–2017 विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड होने से व एकपक्षीय रूप से पारित होने से काबिल निरस्तनीय है। उनका यह भी तर्क था कि अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया व न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होकर प्राप्त हुई। अपील में सुनवाई की तारीख 07–11–2017 थी लेकिन इससे पूर्व ही दिनांक 22–09–2017 को अपीलार्थी के आवेदन पर अपील में सुनवाई कर अपील को स्वीकार कर लिया गया। यह कि विद्वान अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि प्रथम अपील उनके समक्ष अत्यधिक मियाद बाहर प्रस्तुत की थी और देरी के शमन के लिये मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और इस संबंध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां निर्धारित परिसीमा के पश्चात अपील दायर की जाती है और उसके साथ विलम्ब शमन हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा–5 के तहत आवेदन मय शपथ पत्र संलग्न हो तो ऐसे मामलों में अपील के गुणावगुण पर विनिश्चय करने से पूर्व न्यायालयों के लिये यह आज्ञापक है कि वह पहले धारा–5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णीत करे तत्पश्चात ही अपील का गुणावगुण पर निर्णीत किया जावे इसलिये उपरोक्त विधिक स्थिति से यह युक्तियुक्त रूप से स्पष्ट है कि मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निर्णीत करने एवं विलम्ब की परिसीमा का शमन स्वीकृत करने के उपरान्त ही न्यायिक प्रकरण प्रभाव में आता है एवं तत्पश्चात ही गुणावगुण पर निर्णय प्रदान किया जा सकता है, इसलिये उपरोक्त

विधिक सिद्धान्तों को नजरअंदाज करते हुये विद्वान अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रश्नगत अपील में मियाद अधिनियम की धारा–5 के प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये बिना ही अपील को अन्तिम रूप से निर्णीत करने में गम्भीर विधिक त्रुटि कारित की है। पूर्व में भी अपील / डिक्री / टीए / 6504 / 2017 / जैसलमेर व अन्य में इसी प्रकार का निर्णय राजस्व मण्डल से किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है। अतः द्वितीय अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–09–2017 को निरस्त फरमाने के आदेश फरमावें।

5– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि पूर्व में भी ऐसे प्रकरणों में राजस्व मण्डल से निर्णय हुआ है कि ऐसे प्रकरणों को न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी को निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है। इसलिये उक्त प्रकरण भी प्रतिप्रेषित किया जावें।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर के समक्ष राजस्थान सरकार ने एक अपील दिनांक 16–9–2016 को प्रस्तुत की थी जो कि विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 12–08–2015 के विरूद्ध थी, जो मियाद बाहर थी। इसलिये उक्त अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर को अपील पर निर्णय पारित करने से पूर्व मियाद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण पहले करना चाहिये था। लेकिन इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर ने धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया है जो कि विधिक त्रुटि से ग्रस्त है। इसलिये आलोच्य निर्णय विधिसम्मत निर्णय नही होने के कारण निरस्तनीय है।

8— पूर्व में भी अपील / डिक्री / टीए / 6504 / 2017 / जैसलमेर व अन्य मामलों को मण्डल की खण्डपीठ द्वारा इसी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उप निवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर को प्रतिप्रेषित किया गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालना नहीं हुई है व न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होकर ही आई तथा अपील में सुनवाई की तारीख भी प्रीपोण्ड कर अपील में निर्णय पारित किया गया।

9— अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर का निर्णय दिनांक 22—09—2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा—5 मियाद अधिनियम पर निर्णय पारित करें और उसके पश्चात यदि आवश्यक हो तो अपील में निर्णय सीपीसी के आदेश—41 नियम—31 के अनुरूप पारित करें। अपील के निस्तारण होने तक उभय पक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखेंगे। उभय पक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर के समक्ष दिनांक 24—08—2022 को आवश्यक रूप से उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

समस्त प्रार्थना पत्र, यदि कोई, शेष हो, तो उनका भी निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत) **(रवि डांगी)**
सदस्य **सदस्य**